न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3406–पीबीआर/15 विरूद्ध सूचना पत्र दिनांक 6–10–2015 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील धार जिला धार सूचना पत्र कमांक 6039/री–1/2015.

1– भूपेश पिता जयन्तीलाल
2– पंकज पिता जयन्तीलाल
3– सुरेन्द्र पिता जयन्तीलाल
निवासीगण 21, प्रगति विहार इन्दौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. राज्य शासन
द्वारा तहसीलदार धार
कलेक्टर कार्यालय, धार .....अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/11/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील धार जिला धार द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 6–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम देलमी के पटवारी द्वारा तहसीलदार धार को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि सुरेन्द्र, पंकज व सुरेश के नाम से स्थित भूमि सर्वे कमांक 39/1 42/1 एवं 387/1 रकबा कमशः 15.301, 0.928 एवं 3.424 कुल रकबा 19.653 हेक्टेयर का परिवर्तित लगान रूपये 2,03,16,133.50/– बकाया है, जिसकी वसूली किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक दर्ज कर संहिता की धारा 146 के अन्तर्गत दिनांक 6–10–2015 को आवेदकगण को सूचना पत्र जारी किया गया । तहसीलदार द्वारा जारी इसी सूचना पत्र के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ दिनांक 10–8–2017 को उभय पक्ष की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलख के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा मांग पत्र जारी करने में इस तथ्य की अवहेलना की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो लम्बित है ।

(2) आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष निवेदन किया गया था कि वे 92918.5 वर्गफुट का ही लगान देने के लिए बाध्य हैं, शेष का नहीं, इस तथ्य पर तहसीलदार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(3) आवेदकगण वर्ष 1998–99 लगायत 2014–15 तक परिवर्तित भू–आगम की मांग की गई है, जबकि भूमि का व्यपवर्तन दिनांक 27–3–2006 को किया गया है, इसके पूर्व का लगान देने की मांग करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

(4) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति से वसूली योग्य राशि के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब उसके विरूद्ध मांग का सूचना पत्र जारी नहीं किया जा सकता, जबकि आवेदकगण की याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

6/ आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा जारी आर.आर.सी. के विरूद्ध आवेदकगण की ओर से यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, मूल आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, जबकि उन्हें मूल आदेश, जिसके द्वारा व्यपवर्तित भूमि का लगान निर्धारित किया गया था, को सक्षम न्यायालय में चुनौती देना चाहिए था । इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में आवेदकगण द्वारा जो आधार उठाये गये हैं, वह मूल आदेश के सम्बन्ध में उठाये गये हैं, इसलिए इस निगरानी में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील धार जिला धार द्वारा जारी सूचना पत्र दिनांक 6–10–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर